

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

दिनांक: 19.06.2019

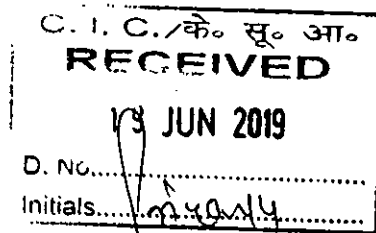
प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/127
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00113
CICOM/R/2019/00343

अपीलकर्ता : श्रीमती सुषमा पटेल,
पुत्री - श्री राधेश्याम चौधरी,
ग्राम - जगदीशपुर, पो0 - मुण्डेरवा,
जनपद - बस्ती - 272178.

निर्णय की तारीख: 19.06.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	16.04.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	01.05.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.05.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	181/17.06.2019 (13358/07.06.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 16.04.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दूसरे विभाग (भारतीय सेना) से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 16.04.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन में उल्लेख किया गया है कि संबंधित विभाग (भारतीय सेना) द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के तहत मांगी गई सही सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है एवं अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रार्थिनी को उक्त सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएं। अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यदि किसी कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो उसी विभाग में प्रथम अपील दाखिल करें तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से भी संतुष्ट न हों तो केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की जा सकती है। प्रदान की गई सूचना में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा विस्तृत अपील प्रक्रिया का भी उल्लेख कर दिया गया है। श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि यदि कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बताई गई प्रक्रिया का अनुपालन करें।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।




(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

